न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकरी (भरतपुर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज निर्णय जाहुल वगै० बनाम असरखाँ वगै० किस्म मुकदमा: 212 आर०टी०एक्ट मिसल नंबर: 10/2022	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुये।
29.08.2022	प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का संस्थित किया कि हाल आराजी खसरा नंबर 118/0.14 (साबिक आराजी खसरा नंबर 161 रकबा 17 बिस्वा) वाके ग्राम मनापुरी तहसील नगर हाल तहसील सीकरी सायलान एवं तरतीवी गैरसायलान के पूर्वज चावसिंह पुत्र निजरू के स्वामित्व व आधिपत्य का रकबा है उक्त रकबे पर चावसिंह पूर्वजों के समय से काबिज रहा है, चावसिंह के इन्तकाल के बाद चावसिंह के वारिसान सायलान एवं तरतीवी गैरसायलान रकबा मुत० पर काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। गैरसायलान का रकबा मुत० से कोई वास्ता किसी भी किस्म का नहीं रहा है और ना अब है यहां तक कि महताबसिंह पुत्र चान्यासिंह उर्फ चन्दासिंह जाति सक्का निवासी मनापुरी नातक कोई व्यक्ति ना तो गॉव मनापुरी में पहले कभी रहा और ना आज है यानि इस नाम का व्यक्ति कभी भी वजूद में नहीं रहा। इस व्यक्ति की वल्दियत साबिक इन्द्राज में चान्यासिंह तथा जाति मेव दर्ज है तथा हाल रिकार्ड में बल्दियत चन्दासिंह तथा जाति सक्का दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में अशुद्धियां दर्ज है। तथा गैरसायलान का नाम गलत इन्द्राज है। साबिक आराजी खसरा नंबर 161 वाके ग्राम मनापुरी से हाल आराजी खसरा नंबर 118/0.14 कायम हुआ है। उक्त रकबा मुत० पर आज भी सायलान एवं तरतीवी गैरसायलान का ही कब्जा काश्त है। परन्तु उक्त विवादित आराजी पर कब्जे व मौके के विपरीत आज भी गैरसायलान व अज्ञात महताब सक्का जिसका इस दुनिया में कभी वजूद ही नहीं रहा है के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हो रहे हैं जिसके आधार पर गैरसायलान के मन मे बदयान्ति आ जाने के कारण कब्जे काश्त सायलान में हस्तक्षेप करने एवं गलत इन्द्राज के आधार पर आराजी मुत० को रहन बय मुंतकिल करने पर आमदा हैं। यदि गैरसायलान अपनी इस मंशा में कामयाब हो गये तो सायलान को सख्त हकतलफी होगी एवं नुकसान अजीम होगा जिसकी पूर्ति जरिये नकद या किसी अन्य तरह से नहीं हो सकेगी। अतः सायलान के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट को स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो कब्जे काश्त सायलान में किसी भी प्रकार हस्तक्षेप न करें, राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे, रकबा मुत० को रहन बय मुंतकिल नहीं करें व ऐसा कोई कार्य नही करें जिससे हकूक सायलान जायल हो।	

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं दिनांक 19.12. 2011 को एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई एवं अप्रार्थीगण का जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 24.01.2012 को अप्रार्थी संख्या 1, 3, 6, 7, 8, के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1, 3, 6, 7, 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 17.12.2012 को अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07 जा0दी0 मय धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया। दिनांक 08.10.2014 को प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07 जा0दी0 मय धारा 5 म्याद अधिनियम को स्वीकार फरमाया गया। दिनांक 31.08.2016 को अप्रार्थी संख्या 2, 4, 5 के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 2, 4, 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 9, 10, 11, (पैरोकर सरकार) ने कथन किया कि प्रार्थना पत्र में कोई हक निहित नहीं होने के कारण जबाब नहीं देना चाहत हैं। दिनांक 16.11.2017 को अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 03 ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को महज तंग व परेशान करने की मंशा से प्रस्तुत किया है। आराजी खसरा नंबर 118/0.14 बाके ग्राम मनापुरी तहसील नगर हाल तहसील सीकरी के 4/30 हिस्से पर गैरसायल संख्या 03 बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है व गैरसायल संख्या 4 फजरी व गैरसायल संख्या 5 हुसैनी जो कि गैरसायल संख्या 03 हुसैना की सगी बहिन है जो खसरा नंबर 118/0.14 के 2/30 हिस्से पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज थी ने अपना 2/30 हिस्सा दिनांक 02.03.2005 को जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग गैरसायल संख्या 3 के पक्ष में अंतरण कर दिया तभी से गैरसायल संख्या 3 अपने हिस्से 4/30 की आराजी व गैरसायल संख्या 2, 3 के 2/30 यानि कुल 1/5 हिस्से पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। तथा आज भी मौके पर विवादित आराजी खसरा नंबर 118/0.14 के 1/5 हिस्से पर गैरसायल संख्या 3 का ही कब्जा काश्त है। गैरसायल संख्या 03 के हिस्से से सायल एवं तरतीवी गैरसायल व उनके बुजुर्गान का कभी भी कोई सम्बंध नहीं रहा है। ना ही कब्जा काश्त रहा है। गैर सायल संख्या 03 के हिस्से की जमीन को हडपने के लिए झूठा दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट को खारिज फरमाया जावे तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12.2011 को जारी की गई अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में गत तारीख पेशी को वकील प्रार्थी ने कथन किया कि मेरे प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार

पर ही प्रार्थना पत्र को निर्णित किया जावे। वकील अप्रार्थी संख्या 03 ने अपने पक्ष में कथन किया कि मेरा जबाब प्रार्थना पत्र एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र को निर्णित किया जावे।

उभय पक्ष के अभिभाषकों के कथनों के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व दस्तावेजात तथा अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेजात का अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विवादित आराजी खसरा नंबर आराजी खसरा नंबर 118/0.14 बाके ग्राम मनापुरी तहसील सीकरी की बाबत प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का होना प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थीया के पक्ष में साबित नहीं होने के कारण खारिज फरमाया जाता है तथा दिनांक 19.12.2011 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।

Scanned with CamScanner